

## प्रेसनोट दिनांक 29.01.2024

- दिनांक 28.01.2024 को वादी उ०नि० श्री नूतन स्वरूप थाना कैण्ट अयोध्या।द्वारा सूचना दिया गया कि महताब पुत्र अख्तर अली नि० सुतहती थाना रा०ज०भू० अयोध्या। आदि 03 नफर सभी गिर० अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 9410 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 16/24 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 28.01.24 को वादी उ०नि० श्री बृजेन्द्र नाथ मिश्रा थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शेरू खान पुत्र इन्तियाज नि० कौशल्या घाट थाना रा०ज०भू० अयोध्या। आदि 03 नफर सभी गिर० अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 8100 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 17/24 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 28.01.24 को वादी श्री रतन कुमार शर्मा प्र०नि० थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. आशीष यादव पुत्र स्व० दलजीत सिंह नि प्लाट नं० 19 सतबरी रोड थाना चकेरी कानपुर नगर 2. विमल राजपूत पुत्र विष्णु राजपूत नि० म०नं० 67 देहली सुजानपुर थाना चकेरी कानपुर नगर 3. योगेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामपाल सिंह यादव नि० म०नं० 44 शिवपुरम कोयलानगर थाना नगर कानपुर नगर 4. जितेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह नि० बलरामपुर मंगलपुर कानपुर देहात उपरोक्त सभी गिर० 5.. मनोज तिवारी पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात। अभि०गण के कब्जे से 16.5 किलो चरस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 29/24 धारा 8/20/25/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 28.01.24 को वादी श्री लालचन्द्र सरोज प्र०नि० को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. मो० मुस्तफा उर्फ चांद बाबू पुत्र मो० शमीम नि० मांझा सोनौरा थाना हैदरगंज अयोध्या 2. मो० जमील पुत्र मो० सफीक नि० बरांव थाना बल्दीराय सुल्तानपुर। दोनों गिर० अभि०गण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने के नीयत से अवैध तमंचा से फायर करना व जवाबी कार्यवाही में अभि० मो० मुस्तफा उर्फ चांद बाबू का घायल हो जाना तथा अभि० मो० मुस्तफा उर्फ चांद बाबू के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 23/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 28.01.24 को वादी हे०कां० मंशाराम यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ढनगू पुत्र काशीराम नि० सराय अहमद थाना पटरंगा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 10/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 28.01.24 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बिन्द्रा प्रसाद पुत्र मिट्ठूराम नि० मोहनलाल का पुरवा दिलवल थाना पटरंगा अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 11/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।